

- ✓ उपर दिये गये कार्य द्वारा प्रकृत हेतु समय-समय पर निर्यत सर्वोत्तम आर्थिक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा आधिकारिक जिला के पुस्तकालय पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक तृप्ति भूमि, भवन, मान-सजा, उपकरण, धर्म किया जाने वाला भूख, छात्रावास तृप्ति आदि का विवरण उपलब्ध कराना है।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन/उपकरण कर्मों के साथ तैयार रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/अभिहित पाठ्यक्रम को अन्तर्गत करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने एवं अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मिक, उपकरण आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत में प्रसार किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रसार किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य मान-सजा पी.सी.आई./परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का अनुपालन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुमाननात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Shan

(एच)सीएच) धाम,
सचिव।

पुस्तक-आवृत्ति/परिषद सम्बद्धता/2022/11128-11211

तद्विषय: 23-12-2022

प्रतिनिधि: प्रधानाचार्य/निदेशक, उमराव कॉलेजी, कानपुर, धाम - बेरिलियम पुस्तकालय पोस्ट - कानपुर, जिला - कानपुर

Shan

(एच)सीएच) धाम,
सचिव।

पृथक,

सचिव,
प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रबंधक,
उमराव फार्मसी कॉलेज,
विलेज-मोहिददीनपुर, फुटहापुल,
पोस्ट-आलमपुर, फतेहपुर।

संख्या-प्राथिप/परिषद/2022/11126

लखनऊ दिनांक- 23/12/2022


विषय-पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में संस्था का नाम संशोधन किये जाने के संबंध में।

भावीद,

कृपया ध्यानपूर्वक विषयक अपने पत्र दिनांक 19-12-2022 का संदर्भ ग्रहण करते का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सत्र 2022-23 हेतु परिषद के पत्र संख्या प्राथिप/परिषद/2022/5845 दिनांक 14-01-2022 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में संस्था का नाम दुष्टिया "उमराव कॉलेज ऑफ फार्मसी, ग्राम-मोहिदपुर, फतेहा, पोस्ट-आलमपुर, फतेहपुर" एवं सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम उमराव सेवा समिति, 815 डब्ल्यू-2, बसंत बिहार, नौबस्ता, जिला-कानपुर अंकित हो गया है जबकि संस्था का नाम "उमराव फार्मसी कॉलेज, ग्राम-मोहिददीनपुर, फुटहापुल, पोस्ट-आलमपुर, जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश एवं सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम उमराव सेवा समिति 815 डब्ल्यू-2, बसंत बिहार, कानपुर" होना चाहिए था। उक्त के दृष्टिकोण सत्र 2022-23 में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में संस्था का नाम संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

संस्था द्वारा किये गये अनुरोध एवं परिषद में उपलब्ध अभिलेखों के आधर पर सत्र 2022-23 में निर्गत अनापत्ति पत्र में संस्था का नाम "उमराव फार्मसी कॉलेज, ग्राम-मोहिददीनपुर, फुटहापुल, पोस्ट-आलमपुर, जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश" एवं सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम उमराव सेवा समिति 815 डब्ल्यू-2, बसंत बिहार, कानपुर" संशोधित समझा जाए।

सचिव,


(संयोजक/सचिव)
परिषद

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रारंभिक शिक्षा के पुनरावलोकन पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किये जाने वाला सुलभ, उपायसूचक सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त ऋणोपरान्त उपलब्ध कराने के साथ बैंकिंग लेखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संसद.ओ का सम्बद्ध किया जाय) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कार्यवाहियों, भवनों और कर्मचारियों को परिषद की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई० पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पु०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, UMRao PHARMACY COLLEGE



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रारिधिक शिक्षा के पुनरावलोकन पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सहाज-सज्जा, उपकरण, प्रायः किये जाने वाले सुलभ, उपायसूचक सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त षाट्टावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रारिधिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संसद.ओ का सम्बद्ध किया जाय) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कार्यवाहियों, भवनों और कर्मचारी को परिषद की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सहाज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई० पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, UMRao PHARMACY COLLEGE



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव